# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

**राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./82/2022/बाड़मेर**

| **अपीलांट** | **रेस्पोडेंटगण** |
|---|---|
| मृतक आसुसिंह गोद पुत्र लखसिंह जाति राजपूत निवासी मेवानगर का. मु.<br>1/1वनपालसिंह पुत्र स्व. आसुसिंह<br>1/2कृष्णपालसिंह पुत्र स्व. आसुसिंह<br>1/3भंवरकंवर बैवा आसुसिंह सभी जातियान राजपूत निवासीयान मेवानगर उप तहसील जसोल उपखण्ड बालोतरा जिला बाड़मेर | 1. राजेन्द्रसिंह पुत्र स्व. तनसिंह<br>2. जोगेन्द्रसिंह पुत्र स्व. तनसिंह जाति राजपूत निवासी मयूर नोबल ऐकेडमी के पास, गांधीनगर, बाड़मेर<br>3. मृतक रामसिंह पुत्र रणछोड़सिंह के कायम मुकाम<br>3/1भलेसिंह पुत्र रामसिंह<br>3/2तेजसिंह पुत्र रामसिंह<br>3/3महेन्द्रसिंह पुत्र रामसिंह सभी जाति राजपूत निवासीयान मेवानगर उप तहसील जसोल जिला बाड़मेर<br>4. सुमेरमल पुत्र रूगनाथमल जाति ओसवाल निवासी रावली गली बालोतरा<br>5. श्रीमती रामेश्वर पत्नी बाबुलाल जाति ओसवाल निवासी पुरानी घांचीयों का वास बालोतरा<br>6. श्रीमान राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार बालोतरा पचपदरा |

**अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर बालोतरा द्वारा राजस्व वाद संख्या 50/2002 बअनवान रामसिंह बनाम सुमेरमल वगैरा, में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.05.2022 के विरूद्ध पेश हुई।**

**उपस्थिति**

1. वकील श्री नरपतसिंह भाटी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री जेठाराम सिंहल रेस्पोडेंट संख्या 01 व 02 की ओर से।

## निर्णय

**दिनांकः—23.08.2023**

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी रामसिंह ने राजस्व वाद अदालत मातहत के समक्ष अधिकार घोषणा, अभिलेख सुधार व स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष का इस आशय का पेश किया कि गांव मेवानगर उप तहसील जसोल की राजस्व सीमा में वादी संख्या 01 की कदीमी खातेदारी एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि खेत खसरा संख्या 227/1 रकबा 30.13 बीघा किस्म बारानी स्थित है। उक्त भूमि ऐग्रीमेन्ट दिनांक 15.05.1964 के द्वारा जरिये नामान्तकरण संख्या 131, तरमीम

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

होकर अकेले वादी संख्या 01 के कब्जा काश्त व खातेदारी की दर्ज अंकित की गई। जिसकी मौके की स्थिति स्पष्ट करने हेतु नक्शा परिशिष्ट'अ' मार्क अ,व,स,द वरंग लाल खसरा संख्या 227/1 रकबा 07.15 बीघा दर्शित की गई है। जो वादग्रस्त कृषि भूमि के नाम से संबोधित की जा रही है तथा आगे यह भी वर्णित किया गया कि, वर्ष 1975 में जसोल से नाकोड़ा की नई सड़क प्रस्तावित की गई। तब वादीगण की तत्कालिन सालिन कृषि भूमि खसरा संख्या 227/1 रकबा 30.13 बीघा में से सड़क बाउण्ड्री के लिए 04.02 बीघा भूमि काटकर कम की गई, जिसका राजस्व रिकॉर्ड में खसरा संख्या 227/1/1 दर्ज किया गया। उक्त नई सड़क निकलने से वादी का खेत दो भागों में विभक्त हो गया। खेत का मुख्या भाग जो सड़क के दिक्षण में था, वह खसरा संख्या 227/1 रकबा 16.18 बीघा रह गया एवं खेत का दूसरा भाग जो सड़क के उत्तर में रह गया, वह भाग नियमानुसार खसरा संख्या 227/1/2 रकबा 07.15 बीघा शेष रह गया, उक्त स्थिति वर्ष 1975 से मौके पर निरन्तर होना बताया। अपीलाधीन आराजी पर 30 वर्षों से अधिक समय से वादी का कब्जा है जिसमें रहवासीय ढाणी, पक्के कमरे, पानी का टांका इत्यादि निर्माण किया हुआ है, तथा उक्त खेत की सुरक्षा हेतु नक्शे में दर्शाये मार्क अ से द हिस्से में खाई खुदवाकर बाउण्ड्री हेतु छीणे जो उंचाई में 08–08 फीट की लगवा दी है, तथा उक्त भूमि के दक्षिणी तरफ लोहे की फाटक लगवाकर, तालाबंदी की हुई है, जो केवल मात्र वादी के कब्जा काश्त की है। हस्तगत वाद में अपीलांटस द्वारा काउंटर क्लेम पेश किया गया जिसे विधि विरूद्ध जाकर निस्तारण किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना अपीलाधीन आलोच्य निर्णय व डिक्री पारित की गई। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की जा रही है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि जैसा कि वादी मृतक रामसिंह का देहान्त दिनांक 16.07.2019 को हुआ। उसके बाद मृतक रामसिंह के विधिक वारिसान की ओर से उनके अधिवक्ता ने हम प्रतिवादी संख्या 05 को यह आवश्वासन देते हुए कि वे रामसिंह के विधिक वारिसान की ओर से प्रार्थना–पत्र आदेश 22 नियम 03 के तहत प्रस्तुत करेगे व उसकी कॉपी भी हम प्रतिवादी संख्या 05 को दिनांक 01.08.2019 को बताई थी। उनके कथन पर सदभावी तौर से

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

विश्वास किया, किन्तु उक्त प्रकरण की विगत वार तारीख पेशियों में संजोग से लगातर 08 पेशियों तक अदालत मातहत में पीठासीन अधिकारी नहीं विराजे व अन्य कार्यों में व्यस्त होने के कारण कोर्ट नहीं लगा। जिस कारण वकील वादी ने मृतक रामसिंह के कायम मुकाम की ओर से दख्वारत आदेश 22 नियम 03 पेश नहीं की व उन्होंने हमें आवश्वस्त किया कि, पी.ओ. साहब विराजते ही तारीख पेशी पर पेश कर देगे। उनकी बात पर हमने सदभावी तौर पर विश्वास किया। तथा फिर संजोग से दिनांक 15.03.2020 से 28.02.2022 तक कोविड–19 आ जाने के कारण अदालत मातहत में सुनवाई नहीं हो सकी। दिनांक 28.02.2022 के बाद जैसे ही कोर्ट में समुचित सुनवाई शुरू हुई। तब हम अपीलांट ने तारीख पेशी पर मृतक रामसिंह के कायम मुकाम की ओर से प्रार्थना–पत्र पेश करने की हिदायत नहीं होने से प्रार्थना–पत्र आदेश 22 नियम 03 पेश करना इंकार कर दिया अर्थात दिनांक 28.02.2022 के बाद 90 दिन की समयावधि के भीतर हम अपीलांट की ओर से हमारा काउंटर क्लेम होने से हमने वादी रामसिंह के विधिक वारिसान के कायम मुकाम का प्रार्थना–पत्र आदेश 22 नियम 04 के तहत दिनांक 24.05.2022 को अदालत मातहत के समक्ष पेश किया। जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शो मोटो प्रकरण मे पारित निर्णय दिनांक 10.01.2022 के अनुसार म्याद में रियायत देने से व म्याद के बिन्दु पर अदालतों के द्वारा नरम रूख अपनाने के निर्देश का होने से, उक्त निर्णय की रोशनी में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 04 दिनांक 24.05.2022 काबिल स्वीकार के था, किन्तु अदालत मातहत ने विधि विरूद्ध जाकर, मनमाने तौर पर अस्वीकार करते हुए, हम अपीलांटस का काउंटर क्लेम पूरा ही अस्वीकार व खारिज कर दिया व डिक्री विधि विरूद्ध पारित की गई। अदालत मातहत ने जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जिस पर तनकीवार कोई साक्ष्य नहीं ली है, बिना साक्ष्य लिये व बिना साक्ष्य का विवेचन किए अपीलाधीन प्रकरण में निर्णय जैसे मेरिटस पर किया गया हो, वैसे किया है, जो विधिक प्रावधानों के बिलकुल विपरित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे। अपीलांटस अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश कियेः–

RJT 2023(2) Page 821
DNJ 2022(2) Page 1468
CCC 2013(2) Page 339

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

वकील रेस्पोडेंट ने अपनी बहस करते हुए बताया कि वादी रामसिंह के द्वारा वर्तमान वाद वर्ष 2022 में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 सुमेरलाल व रामेश्वरीदेवी के द्वारा धोखा व मुगालता देकर भूमि खरीद पंजीकृत बेचाननामों का कथन करते हुए यह वाद पेश किया है एवं रेकर्ड पर उपलब्ध नामान्तकरण संख्या 583 तारीख 17.07.1997 को प्रतिवादी संख्या 1 सुमेरलाल ने वादग्रस्त भूमि के खातेदारी हकूक तारचन्द मोहनलाल लूणवत वगैरा को बेचान दिनांक 25.11.1995 को कर दिया, नामान्तकरण संख्या 630 दिनांक 08.12.1998 को प्रतिवादी संख्या 02 रामेश्वरीदेवी के द्वारा वादग्रस्त भूमि के खातेदारी हकूक राजेन्द्र मेहता व विद्या गोलेच्छा वगैरा को बेचान दिनांक 10.07.1997 को बेचान कर दिया, नामान्तकरण संख्या 631 दिनांक 08.12.1998 को प्रतिवादी संख्या 1 सुमेरलाल ने वादग्रस्त भूमि के खातेदारी हकूक विनित जैन वगैरा को बेचान दिनांक 14.10.1998 को कर दिया गया था एवं राजस्व अभिलेख में उक्त खरीदारों के नाम दर्ज हो चुके थे एवं वादी रामसिंह ने उक्त तथ्यों को छिपाकर एवं खातेदारी हकूक उक्त खरीददारों के होते हुए भी अदालत को गुमराह करने की नियत व इरादे से उक्त खरीददारों को पक्षकार ही नहीं बनाया गया जबकि राजस्व अभिलेख के अनुसार वर्ष 2002 में रामसिंह के द्वारा पेश किये गये उक्त खरीददार आवश्यक पक्षकार भी थे। वादी द्वारा हस्तगत वाद में कायम मुकाम की कार्यवाही को अन्दर मियाद पेश नहीं किया गया। वादी रामसिंह का दिनांक 16.07.2019 को देहान्त हो जाने से किसी भी पक्षकार के द्वारा इंकार नहीं किया गया एवं रेकर्ड से यह स्पष्ट है कि वादी रामसिंह के देहान्त के पश्चात वादी रामसिंह के कायम मुकामों को रेकर्ड पर लाये जाने हेतु परिसीमा अवधि में कार्यवाही नहीं की गई है, जिससे वादी का वाद स्वत ही अबेट हो जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत वाद को दर्ज किया गया। प्रतिवादी के नाम सम्मन जारी किये गये। दोनों पक्षों की बाद समुचित सुनवाई अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि नहीं है। अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील रेस्पोडेंटस को तंग व परेशान करने की नियत से पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अतः अपीलांट की अपील मय खर्चा खारिज फरमायी जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। वादी रामसिंह का दिनांक 16.07.2019 हो देहान्त होने के पश्चात कायम मुकाम की कार्यवाही म्याद अधिनियम आर्टिकल 120 व 121 के तहत अंदर मियाद करनी थी जो वादी द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

नहीं की गई। इसलिए मातहत अदालत द्वारा वादी के वाद को अवेट होने से खारिज किया जो विधि सम्मत है। अपीलांटस द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष काउंटर क्लेम पेश किया जबकि काउन्टर क्लेम में वादी के विरूद्ध कोई इस्तदुआ नहीं चाही है एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के विरूद्ध इस्तदुआ चाही गई है जो 2013(2) सिविल कोर्ट कैरोज पेज 339 में प्रतिपादित किया है कि प्रतिवादी काउन्टर क्लेम अन्य प्रतिवादी के विरूद्ध पेश नहीं कर सकता है। मातहत अदालत द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय के द्वारा अपीलांटस के काउंटर क्लेम को विधि सम्मत खारिज किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लखसिंह की पत्नी अन्तर कंवर ने राजस्व वाद संख्या 53/1990 अनवान अन्तरकंवर बनाम सुमेरमल वगैरह अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान कश्तकारी अधिनियम का दिनांक 20.06.1990 को प्रस्तुत किया गया था, जिसे दिनांक 02.03.1994 को तनकी संख्या 03 वादीनी बैचाननामें को प्रभाव शून्य घोषित करने का दावा पेश किया जो मातहत अदालत के द्वारा क्षेत्राधिकार का नहीं होने का मानते हुए खारिज किया गया, जिसके विरूद्ध हाजा न्यायालय के समक्ष अपील संख्या 25/1994 अनवान अन्तरकंवर बनाम सुमेरमल वगैरह प्रस्तुत की गई जिसे दिनांक 11.09.1995 को अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा नोट प्रेस करने पर खारिज की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित संपूर्ण प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित की गई जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि नहीं है। अपीलांट येन–केन प्रकारेण मामले में अवरोध डालकर इसे अनावश्यक चुनौती देने की मंशा रखते है और वे न्यायालय में सदभावना के साथ स्वच्छ हाथों से नहीं आए हैं। अपीलाधीन आराजी पैतृक भूमि होने से अधीनस्थ न्यायलाय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि सम्मत पारित की गई। मेरी सुविचारित राय में अपील खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बालोतरा द्वारा राजस्व वाद संख्या 50/2002 बअनवान रामसिंह बनाम सुमेरमल वगैरा, में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.05.2022 को यथावत रखा जाता है।

(प्रतिष्ठा पिलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 23.08.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर